उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–955–औ0सं0 / 2022–64 / ए0एस0 / 2002

दिनांक 14 मार्च, 2022

अति आवश्यक / ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

विषय :– राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, उ0प्र0 एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 15.03.2022 से प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के जूनियर इंजीनियर्स एवं अभियन्ता सविनय आवाज्ञा आन्दोलन के माध्यम से प्रबन्धन का पूर्ण असहयोग एवं शिखर ऊर्जा प्रबन्धन के किसी भी आदेशों का पालन न करने के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही एवं विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उ0प्र0 ने अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 07.03.2022 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा यह अवगत कराया है कि संगठन कतिपय माँगों को लेकर दिनांक 15.03.2022 से प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के जूनियर इंजीनियर्स एवं अभियन्ता सविनय आवाज्ञा आन्दोलन के माध्यम से प्रबन्धन का पूर्ण असहयोग करेंगे एवं शिखर ऊर्जा प्रबन्धन के किसी भी आदेशों का पालन न करने हेतु बाध्य होंगे।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने **"उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966"** के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–1523 / 24–पी–2–2021–1(121) / 04 दिनांक 04.01.2022 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–64–औ0सं0–17 / पाकालि / 2022–159–ए / 67 दिनांक 11.01.2022 द्वारा दी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित सविनय आवाज्ञा आन्दोलन के माध्यम से प्रबन्धन का पूर्ण असहयोग करना एवं शिखर ऊर्जा प्रबन्धन के किसी भी आदेशों का पालन न करना न केवल अनुचित है, अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ एवं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उ0प्र0 द्वारा **दिनांक 15.03.2022** से प्रस्तावित सविनय आवाज्ञा आन्दोलन के माध्यम से प्रबन्धन का पूर्ण असहयोग एवं शिखर ऊर्जा प्रबन्धन के किसी भी आदेशों का पालन न करने के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–955–(1)–औ0सं0 / 2022 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः......2..../–

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल एवं दक्षिणांचल, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ आगरा एवं मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं प्रशा0) कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0 (केस्को)।
7. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जानपद)–द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 15.03.2022 से प्रस्तावित सविनय आवाज्ञा आन्दोलन के दृष्टिगत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से समन्वय कर शक्ति भवन की आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने हेतु।
9. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), / उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कट फाइल।

(ए0के0 पुरवार) 14/3
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)